समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

श्री संजीव कुमार "नूतन" पे0 श्री यादवेन्द्र ना0 यादव, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-02, प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा के निकट, थाना+जिला- मधेपुरा को शस्त्र/कारतुस कय-विकय की अनुज्ञप्ति प्रपत्र-13 एवं 14 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति सं0-01/2002 प्रदत्त है। इनकी अनुज्ञप्ति 31-10-2007 तक नवीकृत है। उक्त अवधि बीत जाने के बाद उनके द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु नहीं समर्पित किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 328 दिनांक 14-03-2008 को संबंधित विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। तत्पश्चात् दिनांक 04-06-2009 को अगामी वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया। परन्तु इस कार्यालय के ज्ञापांक 328 दिनांक 14-03-2008 के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाव दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण व्यवस्थापक से इस कार्यालय के ज्ञापांक 2775 दिनांक 23-12-2009 के द्वारा दुकान संचालन में बरती जा रही लापरवाही एवं अनुज्ञप्ति शर्त्तो के उल्लंघन के लिए पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया। संबंधित विकेता द्वारा किसी प्रकार का प्रत्योत्तर अद्यतन समय तक दाखिल नही किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है।

संचिका में पत्रावरित अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक 708/गो0, दिनांक 10-11-2006 के द्वारा समर्पित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि शार्ट गन कार्टेजेज-1000 पीस, .22बोर रायफल गोली 200 पीस तथा 06 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा जमा किए गए शस्त्र-रायफल-01, दो नाली बन्दुक-03 एवं एक नाली बन्दुक-02 भंडारित है। चूँकि उक्त दुकान का अनुज्ञप्ति अद्यतन नवीकृत नहीं है एवं दुकान में भंडारित शस्त्र/ गोली/कारतुस का दुरुपयोग होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए भंडारित सभी सामग्रियों को तत्क्षण जब्त किया जाना नितांत आवश्यक है। यह अनुज्ञप्ति शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में श्री संजीव कुमार "नूतन" पे0 श्री यादवेन्द्र ना0 यादव, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-02, प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा के निकट, थाना+जिला- मधेपुरा को मेसर्स माँ भवानी गन हाउस, मधेपुरा के नाम से निर्गत शस्त्र कय-विकय अनुज्ञप्ति सं0-01/2002 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान पर सभी कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं एवं थानाध्यक्ष, मधेपुरा संयुक्त रूप से जाँच करेंगे एवं जाँचोपरान्त उक्त प्रतिष्ठान में भंडारित सभी प्रकार के शस्त्र, गोली को जब्त कर लेंगे तथा जब्ती सूची तैयार कर मधेपुरा थाना के मालखाना में सुरक्षित जमा करवा देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 84 /शस्त्र, दिनांक 12-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सदृश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स माँ भवानी गन हाउस, मधेपुरा, व्यवस्थापक- श्री संजीव कुमार "नूतन" पे0 श्री यादवेन्द्र ना0 यादव, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-02, प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा के निकट, थाना+जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।